न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

(पीठासीन अधिकारी श्री केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या :– 01 / 47 / 2018

1 छुट्टनलाल पुत्र भूदाराम जाति बलाई निवासी पलवा तहसील राजगढ जिला अलवर . .....वादी

बनाम्

1. रामनिवास पुत्र मोहन जाति ब्राहम्ण
2. श्रीनिवास पुत्र मोहन जाति ब्राहम्ण
3. नरेश कुमार पुत्र मोहन जाति ब्राहम्ण
4. लक्ष्मीकान्त उर्फ लोकेश पुत्र श्रीनिवास जाति ब्राहम्ण
5. विपिन उर्फ कालूराम पुत्र श्रीनिवास जाति ब्राहम्ण
6. रामलाल पुत्र भगल्या राम जाति ब्राहम्ण
7. नारायण पुत्र भगल्याराम जाति ब्राहम्ण समस्त निवासीयान पलवा तहसील राजगढ (अलवर)

–असल प्रतिवादीगण

8. पवन पुत्र रामेश्वरदयाल उर्फ मुंशी जाति महाजन
9. रिंकु पुत्र रामेश्वरदयाल उर्फ मुंशी जाति महाजन
10. रेखा पुत्री रामेश्वरदयाल उर्फ मुंशी जाति महाजन
11. बाबूलाल पुत्र भेला राम जाति महाजन
12. शकुन्तला बेवा बृजमोहन जाति महाजन
13. कपिल पुत्र अमर ज्योति जाति महाजन
14. अराधना पुत्री बृजमोहन जाति महाजन
15. अमिता पुत्री बृजमोहन जाति महाजन निवासी पलवा तहसील राजगढ जिला अलवर

–तर0 प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित : 1. श्री भूपेन्द्र शर्मा एड0– वादी

2 श्री राजेश शर्मा एड0– प्रतिवादी

निर्णय **दिनांक 17.03.2021**

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2021.03.18 19:59:28 IST
Reason: SelfAttested

1. आज पत्रावल वास्ते निर्णय पेश हुई। वादी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया

कि हाल आराजी खसरा नम्बर 428/0.19, 429/0.20, 430/0.01, कुल किता 3 रकबा 0.40 है0 वाके ग्राम पलवा तहसील राजगढ में स्थित है जिस आराजी का वादी 1/2 हिस्से तथा तरतीबी प्रतिवादी 1/2 हिस्से के संयुक्त खातेदार है। उक्त आराजी को वादीगण द्वारा रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 23.04.2018 से खरीद की गई है। जिससे कि असल प्रतिवादीगण नाराज हो गये है वो वादीगण को बेदखल करके कब्जा करने पर तुले हुये है तथा वादी के साथ आये दिन झगडा–फसाद करने को उतारू हो रहे गये। जिससे कि वादी को अपनी आराजी की फसल को काटने में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। असल प्रतिवादीगण का उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार नही है। यदि असल प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त आराजी से वादी को बेदखल कर दिया गया तो वादी को ना पूर्ति होने वाली क्षति होगी। अन्त में दावा वादी डिक्री किया जाकर असल प्रतिवादीगण । को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया कि वो आराजी विवादित खसरा नम्बर 428/0.19, 429/0.20, 430/0.01, कुल किता 3 रकबा 0.40 है0 वाके ग्राम पलवा तहसील राजगढ से कोई कार्य काश्त में रूकावट मजाहमत न करें न उक्त आराजी में स्थित पेडो को काटकर ले जावे तथा वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त फसल बोने जोतने काटने लाने ले जाने में व चार दीवारी निर्माण करने में किसी प्रकार की रूकावट मजाहमत ना करें तथा वादी के साथ कोई झगडा ना करे और असल प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 द्वारा जो नवीन दरवाजा वादी की खरीद शुद्वा आराजी में निकाला है, को बन्द करवाया जावे। अन्त में दावा वादी स्वीकार करने का निवेदन किया।

2. वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 बाद सूचना तामिल उपस्थित न्यायालय नही आने की स्थिति में उसने विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लायी गई। साक्ष्य में वादी की ओर से शपथ–पत्र छुट्टन, गोरधन, कजोड के पेश किये। साक्ष्य शपथ–पत्र में उनके द्वारा वाद पत्र [illegible] तथ्यों की पुष्टि की व दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी सम्वत 2070–73 खाता संख्या 150 वाके ग्राम पलवा आदि पेश की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2021.08.18 10:59:28 IST
Reason: SelfAttested

3. बहस अभिभाषक वादी एकतरफा में सुनी गई। दौरान–ए–बहस अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये उल्लेख किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 428/0.19, 429/0.20, 430/0.01, कुल किता 3 रकबा 0.40 है0 वाके ग्राम पलवा तहसील राजगढ में स्थित है जिस आराजी का वादी 1/2 हिस्से तथा तरतीबी प्रतिवादी 1/2 हिस्से के संयुक्त खातेदार है। उक्त आराजी को वादीगण द्वारा रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 23.04.2018 से खरीद की गई है। जिससे कि असल प्रतिवादीगण नाराज हो गये है वो वादीगण को बेदखल करके कब्जा करने पर तुले हुये है तथा वादी के साथ आये दिन झगडा–फसाद करने को उतारू हो रहे गये। जिससे कि वादी को अपनी आराजी की फसल को काटने में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। असल प्रतिवादीगण का उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार नही है। यदि असल प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त आराजी से वादी को बेदखल कर दिया गया तो वादी को ना पूर्ति होने वाली क्षति होगी। अन्त में दावा वादी डिक्री किया जाकर असल प्रतिवादीगण ा को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया कि वो आराजी विवादित खसरा नम्बर 428/0. 19, 429/0.20, 430/0.01, कुल किता 3 रकबा 0.40 है0 वाके ग्राम पलवा तहसील राजगढ से कोई कार्य काश्त में रूकावट मजाहमत न करें न उक्त आराजी में स्थित पेडो को काटकर ले जावे तथा वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त फसल बोने जोतने काटने लाने ले जाने में व चार दीवारी निर्माण करने में किसी प्रकार की रूकावट मजाहमत ना करें तथा वादी के साथ कोई झगडा ना करे और असल प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 द्वारा जो नवीन दरवाजा वादी की खरीद शुद्वा आराजी में निकाला है, को बन्द करवाया जावे। अन्त में दावा वादी स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अभिवचन किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् तीन महत्वपूर्ण शर्ते इस प्रकार है कि–

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2021.08.18 10:59:28 IST
Reason: Attested

(अ) वादी का विवादित आराजी पर स्वामित्व होना चाहिए। विवादित आराजी के संबंध में वादी ने स्वामित्व प्रस्तुत किया है उस आराजी पर वादी का स्वामित्व होना अति आवश्यक है।

5. प्रकरण में वर्णित आराजी मुताबिक हाल जमाबंदी एवं रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 23.04.2018 से वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजी है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर कोई स्वामित्व और कब्जा नही है। अतः शर्त संख्या–1 वादी के पक्ष में स्पष्ट रूप से साबित होने से पूर्ण प्रतीत होती है।

(ब) वादी का विवादित आराजी के संबंध में सुविधा का संतुलन होना आवश्यक है। अर्थात् वादी का संबंधित आराजी पर वैध कब्जा होना चाहिए।

6. प्रकरण में वर्णित आराजी मुताबिक हाल जमाबंदी एवं रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 23.04.2018 से वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजी है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर कोई स्वामित्व और कब्जा नही है। अतः शर्त संख्या–2 व वादी के पक्ष में स्पष्ट रूप से साबित होना प्रतीत होती है।

(स) प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही करने पर वादी को अपूरणीय क्षति सम्भावित है। अर्थात् आराजी मुतनाजा पर अगर वादी को दीगर व्यक्ति द्वारा आराजी मुतनाजा के उपभोग एवं आमद–रफत में व्यवधान उत्पन्न किया जाता है तो वादी को अपूरणीय क्षति होना सम्भावित है।

7. उक्त मुतनाजा आराजी वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण की कब्जे काश्त की आराजी है तथा वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर कब्जा काश्त करता चला आर रहा है प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर कोई स्वामित्व नही है। उक्त विचाराधीन प्रकरण में वादी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का दावा किया गया है। जिसमें वादी का अनुतोष स्वीकार करना उचित प्रतीत होता है। अतः सुस्थापित नियम की सभी शर्ते स्पष्ट रूप से वादी के पक्ष में साबित होने पर दावा वादी स्वीकार योग्य प्रतीत होता है। अतः

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2021.08.18 10:59:28 IST
Reason: SelfAttested

आदेश है कि

दावा वादी स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खसरा संख्या हाल आराजी खसरा नम्बर 428/0.19, 429/0.20, 430/0.01, कुल किता 3 रकबा 0.40 है0 वाके ग्राम पलवा तहसील राजगढ डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो वादी की उक्त सन्दर्भित आराजी से वादी को कार्य काश्त में रूकावट मजाहमत न करें न उक्त आराजी में स्थित पेडो को काटकर ले जावे तथा वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त फसल बोने जोतने काटने लाने ले जाने में व चार दीवारी निर्माण करने में किसी प्रकार की रूकावट मजाहमत ना करें तथा वादी के साथ कोई झगडा ना करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
राजगढ (अलवर)

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2021.08.18 10:59:28 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री केशव कुमार मीना (आर.ए.एस.)

वाद संख्या	किस्म वाद	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
1/47/2018	दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा	14.05.2018	17.03.2021

1 छुट्टनलाल पुत्र भूदाराम जाति बलाई निवासी पलवा तहसील राजगढ जिला अलवर . .....वादी

बनाम्

1 रामनिवास पुत्र मोहन जाति ब्राहम्ण
2 श्रीनिवास पुत्र मोहन जाति ब्राहम्ण
3 नरेश कुमार पुत्र मोहन जाति ब्राहम्ण
4 लक्ष्मीकान्त उर्फ लोकेश पुत्र श्रीनिवास जाति ब्राहम्ण
5 विपिन उर्फ कालूराम पुत्र श्रीनिवास जाति ब्राहम्ण
6 रामलाल पुत्र भगल्या राम जाति ब्राहम्ण
7 नारायण पुत्र भगल्याराम जाति ब्राहम्ण समस्त निवासीयान पलवा तहसील राजगढ (अलवर)

—असल प्रतिवादीगण

8 पवन पुत्र रामेश्वरदयाल उर्फ मुंशी जाति महाजन
9 रिंकु पुत्र रामेश्वरदयाल उर्फ मुंशी जाति महाजन
10 रेखा पुत्री रामेश्वरदयाल उर्फ मुंशी जाति महाजन
11 बाबूलाल पुत्र भेला राम जाति महाजन
12 शकुन्तला बेवा बृजमोहन जाति महाजन
13 कपिल पुत्र अमर ज्योति जाति महाजन
14 अराधना पुत्री बृजमोहन जाति महाजन
15 अमिता पुत्री बृजमोहन जाति महाजन निवासी पलवा तहसील राजगढ जिला अलवर

—तर0 प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित : 1. श्री भूपेन्द्र शर्मा एड0— वादी

राजेश शर्मा एड0— प्रतिवादी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2021.08.18 10:59:28 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री **दिनांक 17.03.2021**

दावा वादी स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खसरा संख्या हाल आराजी खसरा नम्बर 428/0.19, 429/0.20, 430/0.01, कुल किता 3 रकबा 0.40 है0 वाके ग्राम पलवा तहसील राजगढ डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो वादी की उक्त सन्दर्भित आराजी से वादी को कार्य काश्त में रूकावट मजाहमत न करें न उक्त आराजी में स्थित पेडो को काटकर ले जावे तथा वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त फसल बोने जोतने काटने लाने ले जाने में व चार दीवारी निर्माण करने में किसी प्रकार की रूकावट मजाहमत ना करें तथा वादी के साथ कोई झगडा ना करे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 17.03.2021 को तैयार की गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
राजगढ (अलवर)

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2021.08.18 10:59:28 IST
Reason: SelfAttested